

राजस्थान सरकार
जन अभियोग निराकरण विभाग

क्रमांक प.16(43)आरपीजी/लोसेगाअ/2018/पार्ट-1

जयपुर, दिनांक 1-2-2019

आ दे श

निदेशक लोक सेवाएं, जयपुर के अधीनस्थ सहायक निदेशक, लोक सेवाओं के निम्नांकित कार्यालयों के उपयोग हेतु उनके सम्मुख अंकित कम्प्यूटर एवं अन्य सामग्री क्रय किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

| क्र.सं. | कार्यालय-का नाम | क्रय की जाने वाली सामग्री | तादात | राशि रूपये |
|---------|-------------------------------------|---------------------------|-------|------------|
| 1. | सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, जयपुर | कम्प्यूटर सैट | 01 | 30,000 /- |
| | | प्रिंटर | 01 | 15,000 /- |
| | | यूपीएस | 01 | 3,000 /- |
| 2. | सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, उदयपुर | स्केनर | 01 | 5,000 /- |
| 3. | सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, चित्तोडगढ | प्रिंटर | 01 | 15,000 /- |
| | | यूपीएस | 02 | 6,000 |
| | | योग | | 74,000 /- |

उक्त राशि बजट मद संख्या 2053-00-800-(03)(00)-62 कम्प्यूटराईजेशन से प्रभावी होगी। राशि व्यय करते समय RTPP Act/Rules/ तत्सम्बन्धी दिशा-निर्देशों एवं निर्धारित प्रक्रिया की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावेगी।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग द्वारा प्रदत्त उनकी सहमति आई.डी. संख्या 101900175 दिनांक 24.10.2019 के अनुसरण में जारी की जा रही है।

आज्ञा से,

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग
2. निदेशक, लोक सेवाएं, राज.जयपुर
3. अतिरिक्त निदेशक, लोक सेवाएं, जयपुर
4. सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, जयपुर/उदयपुर/चित्तोडगढ मार्फत सम्बन्धित जिला कलेक्टर
5. रक्षित पत्रावली।

(रवीन्द्र पारीक)

सहायक शासन सचिव